सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

Important Decisions Related to Jharkhand Public Service Commission

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।
कार्यालय आदेश

काoआoसंo–1 / स्थाo–झाoलोoसेoआo– 34 / 13 / 165 दिनांकः 10.12.13

दिनांक–06.08.2013 के प्रभाव से आयोग की बैठक में लिए जाने वाले निर्णय हेतु विषयवस्तु संलेख के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा आयोग के निर्णय को अभिलेखित करने तथा उसे परिचारित करने की प्रक्रिया निम्नवत् है :–

(क) (i) किसी भी विषय से संबंधित मामले जिसमें आयोग का निर्णय प्राप्त किया जाना है, उसे संलेख के माध्यम से आयोग की बैठक में सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रखा जाएगा। आयोग की बैठक की तिथि का निर्धारण अध्यक्ष, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

(ii) आयोग के बैठक की तिथि को एक अलग पंजी में तिथि अंकित कर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा तथा आयोग द्वारा लिये गये निर्णय को एक अलग पंजी में संधारित किया जाएगा, जिसपर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा।

(iii) निर्णय पंजी पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होने के पश्चात् उस तिथि को आयोग के समक्ष रखे गये सभी विषय तथा लिए गये सभी निर्णयों को टंकित कराकर सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत कर अध्यक्ष, सभी सदस्य एवं आयोग के सभी पदाधिकारियों एवं सभी शाखाओं में उसे परिचारित किया जाएगा।

(iv) निर्गत किये गये निर्णय को गार्ड फाईल में भी रक्षित किया जाएगा तथा उसकी प्रति संबंधित संचिकाओं में संलग्न कर संबंधित शाखाओं को संचिका वापस की जाएगी।

(ख) परीक्षा शाखा के ऐसे मामले जो अत्यन्त गोपनीय प्रकृति के हैं एवं रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर, 2002 के आलोक में परीक्षा नियंत्रक के स्तर से ही उसपर कार्रवाई की जानी है, वैसे मामलों में आयोग का निर्णय प्राप्त करने हेतु परीक्षा नियंत्रक सीधे विषयवस्तु को आयोग के समक्ष रख कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

ह0 / –
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 4117 **दिनांकः 10.12.13**

प्रतिलिपिः अध्यक्ष एवं सदस्यगण, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 4117 **दिनांकः 10.12.13**

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / उप परीक्षा नियंत्रक / सभी अवर सचिव / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / स्थापना शाखा / लेखा शाखा / परीक्षा शाखा / विश्वविद्यालय शाखा एवं विधि शाखा, झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–1/ले0–जे0पी0एस0सी0–33/2013/21 **दिनांकः 3/2/14**

झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची के लेखा शाखा में वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुरूप ससमय सुचारू कार्य संपादन तथा परीक्षा शाखा की गोपनीयता बनाये रखने हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है :–

(i) **विज्ञापन**

(क) आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के नियुक्ति हेतु रिक्ति आदि के विज्ञापन विभिन्न समाचारपत्रों में परीक्षा शाखा द्वारा दिये जाते हैं। परीक्षा शाखा द्वारा निर्गत ऐसे विज्ञापन आदेश की एक प्रति लेखा शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विज्ञापन आदेश एवं विज्ञापित सामग्री की एक प्रति लेखा शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) लेखा शाखा द्वारा इसकी प्राप्ति के उपरान्त परीक्षावार एक रक्षी संचिका एवं एक संचिका खोली जायेगी जिसमें तिथिवार विज्ञापन आदेश/विज्ञापित सामग्री की प्रति एवं पत्राचार/विपत्र आदि का संधारण किया जायेगा।

(ग) एजेन्सी से विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त विपत्र संबंधित पदाधिकारी द्वारा उप सचिव (लेखा) को पृष्ठांकित किया जायेगा जिसका यथाशीघ्र भुगतान की कार्रवाई यथानियम लेखा शाखा द्वारा की जायेगी।

(घ) एक परीक्षा के एक संचिका (एक रक्षी संचिका के अतिरिक्त) संधारित की जायेगी।

(ड़) विश्वविद्यालय संबंधी परीक्षा/साक्षात्कार आदि के लिए यही नियम लागू रहेगा।

(ii) **बैंक खाता**

(क) आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन का प्रावधान किया गया है। ऐसे में आवेदकों को आवेदन शुल्क जमा करने के लिए एक बैंक खाते की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि परीक्षा के विज्ञापन के साथ ही संबंधित बैंक खाते का भी उल्लेख हो ताकि आवेदक/आवेदिका संबंधित बैंक खाते में आवेदन शुल्क की राशि जमा कर सकें।

(ख) परीक्षा नियंत्रक ऐसे सभी आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एक अलग से उपखाता खोलने का अनुरोध लेखा शाखा से करेंगे।

(ग) लेखा शाखा का यह दायित्व होगा कि भारतीय स्टेट बैंक, लालपुर में संधारित आयोग के बैंक खाते के तहत एक नया उपखाता खोलवाकर उक्त खाता संख्या को परीक्षा नियंत्रक को हस्तगत करायेंगे ताकि इसे विज्ञापित किया जा सके।

(घ) लेखा शाखा का यह दायित्व होगा कि संबंधित परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक जमा आवेदन शुल्क की कुल राशि संबंधित बैंक से जानकारी प्राप्त कर सहायक रोकड़पंजी/रोकड़पंजी में प्रविष्ट करेंगे।

कृ0पृ0उ0

(ड़) लेखा शाखा द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि में सर्विस प्रोवाइडर की राशि के संबंध में परीक्षा शाखा से सूचना प्राप्त कर उसे छोड़कर शेष राशि संबंधित शीर्ष को सरकारी कोष में जमा करायेंगे। परीक्षा नियंत्रक सर्विस प्रोवाइडर को दी जाने वाली राशि के भुगतान की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर लेखा शाखा को इसे उपलब्ध करायेंगे तथा लेखा शाखा तदोपरान्त सर्विस प्रोवाइडर को राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करेगा।

(च) परीक्षा नियंत्रक परीक्षावार तथा श्रेणीवार अभ्यर्थियों की संख्या तथा श्रेणीवार निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि का ब्यौरा लेखा शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

(iii) गोपनीय भुगतान

(क) आयोग में विभिन्न परीक्षाओं की गोपनीयता अहम है। विभिन्न परीक्षाओं के मुद्रण हेतु मुद्रक एवं विशेषज्ञों आदि को भुगतान किया जाता है, परन्तु इसकी गोपनीयता आवश्यक है।

(ख) परीक्षा नियंत्रक ऐसे विशेषज्ञों आदि से प्राप्त विपत्रों के भुगतान हेतु Assignment संख्या, तिथि एवं भुगतान की जानेवाली राशि का ब्यौरा लेखा शाखा को देंगे। लेखा शाखा द्वारा परीक्षा नियंत्रक को वांछित राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) संबंधित राशि के भुगतान के उपरान्त परीक्षा नियंत्रक भुगतान संबंधित प्रमाण पत्र लेखा शाखा को उपलब्ध करायेंगे ताकि लेखा संधारण में कठिनाई न हो।

(iv) विशेषज्ञों का आवागमन एवं आवासन

(क) आयोग में विभिन्न परीक्षा/साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञों को आयोग कार्यालय आना पड़ता है, जिनके आवागमन एवं आवासन का दायित्व आयोग का होता है।

(ख) विशेषज्ञों के आवासन हेतु होटल के कमरों का आरक्षण संबंधित अवर सचिव के नाम से ही किया जायेगा और होटल में खाने के विपत्र आदि में संबंधित विशेषज्ञों का लघु हस्ताक्षर लिया जा सकता है।

(ग) परीक्षा नियंत्रक/अवर सचिव ऐसे विषय विशेषज्ञों के आवागमन एवं आवासन की गोपनीयता बरकरार रखते हुए यथा संभव लेखा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है।

3. आयोग के आदेश से।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 321 **दिनांकः 3/2/14**

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/सभी अवर सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट सह लेखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/रोकड़पाल, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–2/परी0–जे0पी0एस0सी0–48/2013 /.....22.... **दिनांक 5/2/14**

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में जिला स्तर पर गठित नियंत्रण कक्ष में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारी को तथा परीक्षा केन्द्र/कोषागार से आयोग कार्यालय में परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराने वाले दण्डाधिकारियों को निम्नलिखित दर से मानदेय भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी/कर्मचारी	संख्या	दर प्रति पदा0/कर्म0 प्रति पाली
01	परीक्षा सामग्री को कोषागार से आयोग कार्यालय लाने वाले दण्डाधिकारी	01	375/–
02	परीक्षा सामग्री को कोषागार से आयोग कार्यालय लाने वाले प्रतिनियुक्त पुलिसबल	कनीय पुलिस पदा0–01	175/–
		कॉन्सटेबल–04	125/–
03	जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एक प्रधान सहायक	01	225/–
04	जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एक सहायक	01	125/–
05	जिला नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	01	100/–

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. आयोग के आदेश से।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 335 **दिनांकः 5/2/14**

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/उप परीक्षा नियंत्रक/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट–सह–लेखा पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/परीक्षा शाखा/लेखा शाखा एवं रोकड़पाल, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
CIRCULAR ROAD, RANCHI

It has been resolved by Jharkhand Public Service Commission that following informations relating to confidential items which are exempted under section 8(i)(e) and (g) of the Right to Information act, 2005 will not be disseminated:-

1. Name(s) & other particulars of any Paper-Setter, Examiner/Head Examiner, Moderator of different recruitment examinations and Preliminary Written Tests in Selection Cases.
2. Name(s) & other particulars of Advisor/Expert/Board Members & Government Representative invited by the Commission to assist the Commission in the Interview Boards/Personality Tests.
3. Information regarding marks secured by the candidates of any Recruitment Examination or any paper of a Recruitment Examination, the Examination process of which has not ended and allotment completed.
4. Cut off marks of any individual Recruitment Examination/Preliminary Examination/Written Examination for short listing of candidates called for interview prior to publication of result.
5. Any information regarding name, number of candidates & their particulars of different recruitment examination & selection cases.
6. Proceeding relating to Promotion, Selection & Disciplinary cases.
7. Name & particulars of the Press where sensitive material e.g. Papers, Test Booklets, Answer Sheets, OMRs etc. are printed.
8. Access to the answer script/sheets taking different recruitment Examination/Preliminary Written Test/Screening/Departmental Examination after expiry of 60 days from the date of publication of the final result of relevant examination.
9. File notings of confidential nature.
10. Annual Confidential Report rating in respect of officers and merit rating on assessment of Annual Confidential Reports in promotion cases.

By order of JPSC
Sd/-
(Ratan Kumar)
Secretary.

Memo No. 462 Dated: 12/2/14

Copy forwarded to Controller of Examination/Dy. Secretary/Public Information Officer, JPSC, Ranchi for information.

Controller of Examination is requested to take action for uploading the Resolution on the website of the Commission and publication of the same in the daily newspaper.

Sd/-
(Ratan Kumar)
Secretary.

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–1/क्रय–जे0पी0एस0सी0–13/2014/06 **दिनांकः 15.01.2015**

सरकारी कार्यालयों में छोटे–मोटे सामान खरीदने के लिए राज्य वित्त नियमावली के अनुच्छेद–8 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–221/वि0 दिनांक–03.08.2011 में दी गयी प्रतिवेदन की प्रथा अपनाई जाती है। आयोग में कार्य के लिए भी यह राज्य सरकार की प्रथा अपनायी गई है। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह था कि सरकारी सामानों की खरीद पारदर्शी ढंग से अच्छे दाम में सही चीज उपलब्ध कराना, कोटेशन या टेंडर का मुख्य उद्देश्य यह नही है कि निजी व्यवसाय को सामान बेचने का मौका दिया जाय। यह नियमावली जब बनाई गई थी तब DGS&D, इंटरनेट आदि की सुविधा नहीं थी।

2. उपर्युक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपयोग हेतु क्रय किये जाने वाले सामग्रियों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आकस्मिक आवश्यकता के तहत् जिन सामग्रियों का DGS&D दर उपलब्ध है उनका Internet से अधिकृत विक्रेताओं से उक्त DGS&D दर पर उत्तम गुणवत्ता के सामग्रियों का क्रय किया जाना है तथा जिन सामग्रियों का DGS&D दर उपलब्ध नहीं है, परंतु उनका दर Internet पर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में Internet से या बाजार से तीन कोटेशन प्राप्त कर L_1 दर पर उन सामग्रियों का उत्तम गुणवत्तायुक्त क्रयापूर्ति हेतु आदेश प्राप्त कर कार्रवाई की जा सकती है। इसके निमित्त सामाचारपत्रों में कोई निविदा प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. आयोग के तत्कालिक आवश्यकतानुसार बाजार दर पर भी यथावांछित सामग्रियों का क्रय प्रभारी पदाधिकारी की पूर्वानुमति से किया जा सकता है।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 133 **दिनांकः 15.01.2015**

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/उप परीक्षा नियंत्रक/विधि पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट सह लेखा पदाधिकारी/अवर सचिव, लेखा/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/स्थापना शाखा/लेखा शाखा, झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।

कार्यालय आदेश

संख्या–2 / परी0–जे0पी0एस0सी0–4 / 2014 / 137 **दिनांकः 15.01.2015**

झारखंड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर, 2002 के Chapter-III : Basic Functions of the Commission के Rule - 4 (xiii) (l) एवं (m) में परीक्षा के आधार पर मेधा सूची एवं परीक्षाफल तैयार करने तथा अनुशंसा किये जाने से संबंधित प्रावधान हैं।

परीक्षाफल प्रकाशन एवं अनुशंसा भेजे जाने के क्रम में आयोग के वेबसाईट में भी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची एवं परिक्षार्थियों के अंकों को अपलोड करने की परिपाटी आयोग में रही है। उक्त क्रम में और भी पारदर्शिता तथा अभ्यर्थियों को सही सूचना मिल सके, इसके लिए निम्न व्यवस्था पर आयोग अपनी स्वीकृति प्रदान करती है :–

(क) आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के आवेदन प्राप्ति के बाद स्क्रुटिनी के फलस्वरूप विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप आवेदन के साथ सूचना उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में आयोग का निर्णय प्राप्त किया जाएगा।

(ख) आवेदन अस्वीकृत होने वाले उम्मीदवारों की सूची अस्वीकृति के कारण के साथ आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अन्दर अपील आवेदन देने का निदेश दिया जाएगा। वेबसाईट पर उक्त सूचना प्रकाशन से संबंधित विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अपील अभ्यावेदनों पर आयोग के निर्णय के उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा आयोग के वेबसाईट पर निर्णय अपलोड की सूचना दी जायेगी।

(ग) परीक्षा के उपरान्त संबंधित विभागों को आयोग के स्तर से अनुशंसित किये जाने वाले उम्मीदवारों की सूची कोटिवार, आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी। विभागों को भेजे जाने वाले अनुशंसा पत्र की स्कैन फोटो प्रति भी आयोग के वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

(घ) आयोग के वेबसाईट पर अनुशंसित उम्मीदवारों के अंतिम कट ऑफ मार्क्स भी कोटिवार अपलोड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों (अनुशंसित तथा असफल अभ्यर्थियों सहित) का अंक भी अपलोड किया जाएगा जिसे केवल संबंधित उम्मीदवार प्राप्त अंको का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकें।

(ङ) परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा भेजे जाने के समय निम्न सूचनाओं के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगीः–

(i) आयोग के वेबसाईट पर संबंधित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध है।

(ii) अनुशंसित उम्मीदवारों के कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

कृ0पृ0उ0

(iii) परीक्षा में सम्मिलित सफल एवं असफल सभी अभ्यर्थियों के अंक भी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। संबंधित उम्मीदवार उन्हें प्राप्त अंक का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

(iv) उपरोक्त सूचनाएँ 60 दिनों तक आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स के संबंध में आयोग से पत्राचार अनावश्यक होगा।

(v) झारखंड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर, 2002 के Chapter - III, Rule - 4 (xiii) के आलोक में परीक्षा के उम्मीदवारों से अंको के पुर्नजोड़ तथा अपने उत्तर–पुस्तिका के अवलोकन से संबंधित आवेदन 60 दिनों के अन्दर तक ही स्वीकार्य होगी। इसके बाद किया गया अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

उक्त विज्ञापन की प्रति जन सूचना पदाधिकारी तथा लेखा शाखा को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त सफल तथा असफल सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र की Hard Copy तैयार की जायेगी, जिसपर परीक्षा नियंत्रक / उप परीक्षा नियंत्रक / संबंधित प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर का हस्ताक्षर होगा। इसकी एक प्रति जन सूचना पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त अंक पत्र की Soft Copy (PDF/Excel File में) (Read only copy) भी जन सूचना पदाधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों के आलोक में सूचना दी जा सके।

(छ) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उक्त परीक्षा के सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र की Hard Copy एवं Soft Copy का संधारण परीक्षा नियंत्रक द्वारा सुरक्षित ढ़ंग से किया जाएगा।

(ज) परीक्षा शाखा से जो भी प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जाएगी, उसकी प्रकाशित प्रेस कतरन को मूल रूप में भी संबंधित संचिका में संधारित किया जाएगा तथा एक मूल प्रति जन सूचना पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग के आदेश से,

ह0 / –
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 137 **दिनांकः** 15.01.2015

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक / उप सचिव / उप परीक्षा नियंत्रक / जन सूचना पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / सभी शाखा, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 137 **दिनांकः** 15.01.2015

प्रतिलिपिः अध्यक्ष कोषांग / सदस्य कोषांग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–2/परी0–जे0पी0एस0सी0–16/2014/08 **दिनांकः 16.01.2015**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली त्रिस्तरीय एवं द्विस्तरीय परीक्षाओं में एक बार ही परीक्षा शुल्क लिए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आदेश आयोग द्वारा लिये गये निर्णय की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

3. आयोग के आदेश से।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 145 **दिनांकः 16.01.2015**

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/उप परीक्षा नियंत्रक/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बजट–सह–लेखा पदाधिकारी/विधि पदाधिकारी/जन सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/परीक्षा शाखा/लेखा शाखा एवं रोकड़पाल, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 145 **दिनांकः 16.01.2015**

प्रतिलिपिः माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के निजी सहायक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची।

कार्यालय आदेश

संख्या–2/परी0–जे0पी0एस0सी0–57/2013/09 दिनांक: 16.01.2015

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली परीक्षाओं में कदाचार की श्रेणी (Guilty of misconduct) में आनेवाले निम्न कृत्यों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

Action against candidates found guilty of misconduct :

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) impersonating, or

(c) procuring impersonation by any person, or

(d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(e) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) using unfair means during the test, or

(h) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script(s), or

(i) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

कृ0पृ0उ0

(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable :

(i) to be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or

(ii) to be debarred either permanently or for a specified period :-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

परीक्षा नियंत्रक आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उक्त मामलों को कदाचार की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए सूचना प्रकाशित करेंगे।

2. यह आदेश आयोग द्वारा लिये गये निर्णय की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

3. आयोग के आदेश से।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 146 **दिनांकः 16.01.2015**

प्रतिलिपिः परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/उप परीक्षा नियंत्रक/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/विधि पदाधिकारी/जन सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/परीक्षा शाखा, झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः 146 **दिनांकः 16.01.2015**

प्रतिलिपिः माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण के निजी सहायक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर, रोड, रांची
कार्यालय आदेश

सं0सं0–2/परी0–जे0पी0एस0सी0–83/2013/................ दिनांकः ____________

पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में आयोग द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता हैः–

1. पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2244 of 2009 में दिये गये निदेश के आलोक में परीक्षाफल तैयार किया जाय।
2. महिलाओं को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 3132 of 2007, Rajesh Kumar Daria Vs Rajasthan Public Service Commission में दिये गये निदेश के आलोक में परीक्षा शाखा द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
3. महिलाओं के अनुरूप ही विकलांगों के लिए भी क्षैतिज आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में परीक्षा शाखा द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
4. प्रश्न गलत होने की स्थिति में उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का लाभ परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से दिया जाय।
5. प्रारम्भिक परीक्षा में कुल रिक्तियों के 13 गुणा एवं समान अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया जाय।

आयोग के आदेश से।

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–...235... दिनांकः– 27.01.2014

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/सभी अवर सचिव/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची।

ज्ञापांकः–...235... दिनांकः– 27.01.2014

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष कोषांग/सदस्यगण, झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव
झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची।